01 मई 2023

संघ लोक सेवा आयोग

सन्दर्भ:

- हाल ही में शिक्षाविद् मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली।

यूपीएससी के बारे में:

- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) भारत में संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर, 1926 को भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत की गई थी।
- आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना में हैं।
- **भूमिका और कार्य:** अनुच्छेद 320 के तहत यूपीएससी सिविल सेवाओं, रक्षा सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पदों सहित केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती और चयन के लिए जिम्मेदार है। इसके प्राथमिक कार्यों में परीक्षा आयोजित करना, साक्षात्कार करना और नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करना शामिल है।
- **संरचना:** आयोग में एक अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकतम 10 सदस्य होते हैं।
- **इस्तीफा:** संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य स्वेच्छा से भारत के राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा सौंपकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
- **सदस्यों का निष्कासन/निलंबन:** यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के माध्यम से ही उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है।
    - यह निर्दिष्ट करता है कि अध्यक्ष और सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो पद धारण करेंगे।
    - यह अनुच्छेद पुनर्नियुक्ति और निष्कासन के प्रावधान भी प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 317:
    - यह अनुच्छेद यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड को रेखांकित करता है।
    - इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होना चाहिए जब तक वह किसी लाभ के पद पर है या किसी सरकारी अनुबंध में वित्तीय हित रखता है या कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न है।
- अनुच्छेद 323:
    - यह अनुच्छेद संघ और राज्यों के अधीन सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्यायनिर्णयन के लिए अलग-अलग न्यायाधिकरणों की स्थापना की अनुमति देता है।
    - संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी)

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

01 मई 2023

महत्वपूर्ण अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 316:
    - यह अनुच्छेद यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है।

न्यायाधिकरण के रूप में जाने जाने वाले इन न्यायाधिकरणों के पास ऐसे मामलों को सुनने और निपटाने की शक्ति है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

सन्दर्भ:

- हाल ही में सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

सीसीआई के बारे में:

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
- **विनियामक प्राधिकरण:** CCI भारत में सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यह 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है।
- **क्षेत्राधिकार:** CCI का भारत में सभी क्षेत्रों और उद्योगों पर अधिकार क्षेत्र है, सिवाय उन क्षेत्रों के जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है। इसमें सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं सहित सार्वजनिक और निजी दोनों उद्यम शामिल हैं।
- **संरचना:** आयोग में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो से कम और छह से अधिक अन्य सदस्य नहीं होते हैं।

इसकी शक्तियों में शामिल हैं:

- प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग और संयोजनों (विलय और अधिग्रहण) की जांच करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है, जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित पूछताछ, जांच-पड़ताल और सुनवाई करना।
- जुर्माना लगाना, रोकने के आदेश जारी करना और प्रतिस्पर्धा को बहाल करने के लिए संरचनात्मक या व्यवहारिक उपायों की सिफारिश करना।
- उन संयोजनों (विलय और अधिग्रहण) के लिए अनुमोदन और मंजूरी प्रदान करना जो प्रतिस्पर्धा पर एक सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

बाल यौन शोषण में वृद्धि

सन्दर्भ:

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

01 मई 2023

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भारत में सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार में उल्लेखनीय वृद्धि (250-300%) के एक रिपोर्ट के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- एनएचआरसी रिपोर्ट की सामग्री अगर यह सत्य है तो यह नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, और गरिमा से संबंधित मानवाधिकार और छोटे बच्चों को सोशल मीडिया पर यौन शोषण के खतरे से बचाने से संबंधित मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
- एनएचआरसी ने छह सप्ताह के भीतर सोशल मीडिया पर CSAM के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
- मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 2023 में अब तक CSAM के प्रसार के लगभग 4,50,207 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 3,039 मामलों में कार्रवाई की है।
- **प्रमुख मुद्दा:** एनएचआरसी ऑनलाइन सीएसएएम के दुष्प्रभावों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो बच्चों को अपूरणीय मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचा सकता है और उनकी वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकता है।

एनएचआरसी के बारे में:

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।
- **शासनादेश:** NHRC भारत में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
- **संरचना:** NHRC में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, जबकि सदस्यों को मानवाधिकार, कानून, सामाजिक कार्य और लोक प्रशासन सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से होना चाहिए।
- **शक्तियां:** एनएचआरसी के पास दीवानी अदालत की शक्ति है और वह गवाहों को बुला सकती है, दस्तावेजों को पेश करने की मांग कर सकती है और हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त कर सकती है। यह मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को मौद्रिक राहत की भी सिफारिश कर सकता है।
- **स्वायत्तता और स्वतंत्रता:** NHRC को सरकार से स्वायत्तता और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए विकसित किया गया है। इसे सशस्त्र बलों और पुलिस सहित सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करने का अधिकार है।
- **अधिकार क्षेत्र:** NHRC का अधिकार क्षेत्र भारत के पूरे क्षेत्र पर है और यह राज्य तथा गैर-राज्य दोनों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को कवर करता है। यह नागरिक के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।

  सिफारिशें और रिपोर्ट: NHRC सरकार को वार्षिक और विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तथा मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए सिफारिशें करता है।

ओवरहाल साइनेज सिस्टम

सन्दर्भ:

- भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर साइनेज सिस्टम का व्यापक ओवरहाल कर रहा है।

मुख्य विशेषताएं:

- अमृत भारत स्टेशन योजना के हिस्से के तहत प्रमुख शहरों और लोकप्रिय पर्यटन और तीर्थ स्थलों सहित लगभग 1,275 स्टेशनों को इस पहल के लिए चुना गया है।
- वर्तमान में 88 स्टेशनों पर काम चल रहा है, जबकि शेष 1,187 स्टेशनों के लिए निविदा और योजना पर काम चल रहा है।
- वर्तमान साइनेज प्रणाली निम्न है:
  - विसंगतियां और अपर्याप्तताएं।
  - एकरूपता की कमी, विज्ञापनों के साथ ओवरलैपिंग।
  - खराब सौंदर्य डिजाइन।
  - कुछ क्षेत्रों में संकेतों का अभाव।
- नई साइनेज प्रणाली का उद्देश्य सादगी, स्पष्ट फोंट, आसानी से दिखने वाले रंगों और सहज चित्रलेखों को प्राथमिकता देना है।
- यह बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- सुसंगत और दिखने में आकर्षक साइनेज के उपयोग से रास्ता खोजने में सुधार होगा और यात्रियों के लिए अधिक समान और सुलभ अनुभव विकसित होगा।
- नए साइनेज सिस्टम में तिरंगे बैकग्राउंड वाले स्टेशनों के नाम के साथ तृतीयक बोर्ड शामिल हैं।
- संकेतों को विशिष्ट श्रेणियों के अनुसार समूहीकृत किया जाता है जैसे आवश्यक यात्रा सूचना, दिशात्मक जानकारी, सुविधाएं और सुविधाएं, वाणिज्यिक सुविधाएं और निकास जानकारी आदि।
- इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए, तीन रेलवे स्टेशनों (रानी कमलापति, गांधीनगर कैपिटल और सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल) को नए साइनेज सिस्टम के उदाहरण के रूप में पहले ही चालू कर दिया गया है।

संक्षिप्त सुर्खियां

सैन्य वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध

सन्दर्भ:

- भारत ने लगभग 1,000 सैन्य वस्तुओं की एक नई सूची की घोषणा की है जो दिसंबर 2023 और दिसंबर 2029 के बीच चरणबद्ध आयात प्रतिबंध के अधीन होगी।

मुख्य विशेषताएं:

- इसका उद्देश्य लड़ाकू विमानों, प्रशिक्षक विमानों, युद्धपोतों और गोला-बारूद के

	निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। पिछले दो वर्षों में आयात प्रतिबंध के तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटकों की यह चौथी सूची है। • नवीनतम सूची में ₹715 करोड़ के आयात प्रतिस्थापन मूल्य के साथ 928 सामग्री शामिल हैं। • वस्तुओं की खरीद निर्धारित समय सीमा के बाद ही स्थानीय उद्योग से की जाएगी। • पिछली तीन सूचियों के परिणामस्वरूप लगभग 2,500 वस्तुओं का स्वदेशीकरण हुआ है, जिनमें से 1,238 वस्तुओं की पहचान भारत में निर्माण के लिए की गई है। • रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और निजी भारतीय उद्योग को शामिल करते हुए विभिन्न मार्गों के माध्यम से स्वदेशीकरण प्रक्रिया को अंजाम देंगे। • इस कदम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने, रक्षा में निवेश बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। भारत हथियारों और प्रणालियों के साथ-साथ उप-प्रणालियों, पुर्जों और घटकों पर आयात प्रतिबंध के माध्यम से स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए दो-आयामी दृष्टिकोण अपना रहा है। इसके अतिरिक्त भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें घरेलू खरीद के लिए बजट बढ़ाना और उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना शामिल है। • भारत ने 2016-17 से निर्यात में दस गुना वृद्धि के साथ, सैन्य हार्डवेयर का निर्यातक बनने की दिशा में भी प्रगति की है।
50 स्टार्ट-अप एक्सचेंज प्रोग्राम 	**सन्दर्भ:** • भारत और बांग्लादेश ने अपने उद्यमी समुदायों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्ट-अप विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। **मुख्य विशेषताएं:** • इस कार्यक्रम का उद्देश्य ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य, परिवहन और रसद, ऊर्जा, शिक्षा तथा कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाना, ज्ञान साझा करना और सहयोग बढ़ाना है। कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किए गए थे। • विनिमय कार्यक्रम में भाग लेने वाले बांग्लादेशी स्टार्ट-अप्स को भारत की "स्टार्ट-अप इंडिया" पहल से परिचित कराया गया, जिससे स्टार्ट-अप की स्थापना और विकास के विभिन्न पहलुओं पर अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। भारत में 10 बांग्लादेशी स्टार्ट-अप्स की यात्रा ने विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत को चिह्नित किया, जिससे दोनों

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 \| LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 \| RAJENDRA NAGAR: 9205274743 \| UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 \| LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 \| LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 \| GREATER NOIDA: 9205336037, 38 \| KANPUR: 7887003962, 7897003962 \| GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 \| ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

	देशों के उद्यमी समुदायों के बीच भविष्य की यात्राओं और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। **महत्व:** • इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए और उभरते क्षेत्रों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और नवाचार में सहयोग बढ़ाना है। • यह स्टार्ट-अप्स अनुभव को साझा करने, साझेदारी बनाने और एक-दूसरे की सफलताओं और चुनौतियों से सीखने के लिए एक मंच प्रदान करता है। • भारत और बांग्लादेश स्टार्ट-अप के बीच सहयोग में दोनों देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नौकरी के अवसर पैदा करने और नवाचार को बढ़ावा देने की क्षमता है।
सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर 	**सन्दर्भ:** • भारत सरकार मोबाइल फोन की चोरी से निपटने और उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) प्रणाली शुरू कर रही है। **मुख्य विशेषताएं:** • सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सीडीओटी) द्वारा विकसित सीईआईआर प्रणाली लोगों को देश भर में अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने में सक्षम बनाती है। • इस सिस्टम को विभिन्न टेलीकॉम सर्किलों में एक सफल प्रायोगिक परीक्षण के रूप में चलाया गया और अब इसे देश भर में लागू किया जा रहा है। • CEIR प्रणाली को अनधिकृत उपकरणों को दूरसंचार नेटवर्क में प्रवेश करने से रोकने के लिए मोबाइल उपकरणों की बिक्री से पहले अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (IMEI) संख्या के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। • यह क्लोन किए गए मोबाइल फोन के उपयोग का पता लगा कर उसे रोक सकता है, उसके बेहतर सुरक्षा में योगदान और हानि को कम करता है। • CEIR सिस्टम ने अपने पायलट रन के दौरान पहले ही 2,500 से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन को वापस लाने की सुविधा प्रदान की है। **महत्व:** • Android उपयोगकर्ताओं को CEIR प्रणाली से लाभ होगा, क्योंकि यह चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक और ब्लॉक करने के लिए एक विश्वसनीय तंत्र प्रदान करने के

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 \| LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 \| RAJENDRA NAGAR: 9205274743 \| UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 \| LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 \| LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 \| GREATER NOIDA: 9205336037, 38 \| KANPUR: 7887003962, 7897003962 \| GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 \| ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

	साथ उपयोगकर्ता की सुरक्षा को बढ़ाता है और चोरी को हतोत्साहित करता है।
बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य (Bura Chapori Wildlife Sanctuary)	**सन्दर्भ:** • असम सरकार ने राज्य के बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से काजीरंगा से ओरंग राष्ट्रीय उद्यान तक जंगली जानवरों के पारंपरिक मार्ग को खोलने की योजना बनाई है। **मुख्य विशेषताएं:** • असम में स्थित बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण और संरक्षण के लिए समर्पित है। • यह 44.06 वर्ग किलोमीटर में फैला है जो विविध परिदृश्य प्रदान करता है जो वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं। • यह 1974 में एक आरक्षित वन के रूप में नामित होने के बाद 1995 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया, जों प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। • ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए एक संपन्न आवास प्रदान करता है। • यह अभयारण्य काजीरंगा टाइगर रिजर्व के लिए एक बफर जोन के रूप में कार्य करता है, जो क्षेत्र की बाघ आबादी के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देता है। • यह अभयारण्य कई पेड़ प्रजातियों का घर है, जिनमें साल, सागौन, बांस, ओक और विभिन्न प्रकार के सदाबहार और पर्णपाती पेड़ शामिल हैं। • **इसमें रहने वाले जानवर:** इसमें भारतीय गैंडे, बाघ, हाथी, जंगली सूअर, हूलॉक गिबन्स, कैप्ड लंगूर, भारतीय भेड़िये, भारतीय लोमड़ी, और हिरण की विभिन्न प्रजातियाँ जैसे हॉग हिरण और भौंकने वाले हिरण शामिल हैं।
स्वदेशी डेंगू वैक्सीन 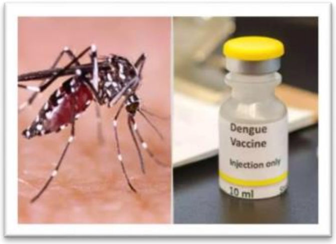	**सन्दर्भ:** • सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनासिया बायोटेक ने अपने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन उम्मीदवारों के लिए सहयोगी चरण- III नैदानिक परीक्षणों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को आवेदन किया है। **मुख्य विशेषताएं:** • तीसरे चरण के परीक्षणों का उद्देश्य भारतीय निर्माताओं द्वारा विकसित टेट्रावेलेंट

	डेंगू वैक्सीन की प्रभावकारिता, सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता का मूल्यांकन करना है। • डेंगू वायरस रोग विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण रुग्णता और मृत्यु दर का कारण बनता है, जिसके भारत में सालाना 2 से 2.5 लाख मामले सामने आते हैं। डेंगू संक्रमित एडीज मच्छरों, विशेष रूप से एडीज एजिप्टी के काटने से मनुष्यों में फैलता है। • **लक्षण:** डेंगू के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, दाने और थकान शामिल हैं।
त्र्यंबकेश्वर मंदिर 	**सन्दर्भ:** • हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है यह हाल की एक घटना की जांच करेगा, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 'जबरन' प्रवेश करने का प्रयास किया था। **मुख्य विशेषताएं:** • त्र्यंबकेश्वर मंदिर (जिसे त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है) भारत के महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक शहर में स्थित एक अत्यंत प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। • **महत्व:** त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारत में बारह ज्योतिर्लिंगों (भगवान शिव के पवित्र निवास) में से एक है। • **देवता:** मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबकेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इसका अर्थ है "तीन आंखों वाले भगवान।" • **स्थान:** मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और सुरम्य पहाड़ियों और हरी-भरी हरियाली से घिरा हुआ है। • **वास्तुकला:** त्र्यंबकेश्वर मंदिर सुंदर पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। इसमें गर्भगृह के अंदर एक काले पत्थर का लिंगम (भगवान शिव का प्रतीक) है। मंदिर परिसर में विभिन्न देवताओं को समर्पित कई अन्य मंदिर शामिल हैं। • **कुशावर्त कुंड:** मंदिर परिसर में कुशावर्त कुंड भी है, जिसे एक पवित्र स्नान कुंड माना जाता है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com